दिनाक 08.10.2020	
प्रेस विज्ञप्ति 08 / 20	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन–2020 में नामांकन के दौरान पुलिस प्रबन्ध के दिये दिशा निर्देश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर, जौनपुर, उन्नाव, देवरिया, कानपुर नगर, अमरोहा, फिरोजाबाद को **विधानसभा उपनिर्वाचन –2020 नामांकन की प्रकिया के दौरान** वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार, उ0प्र0शासन एवं मुख्यालय स्तर से समय समय पर निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किये गये मानको एवं निर्गत निर्देशों के क्रम में आवश्यक पुलिस प्रबन्ध के निर्देश निर्गत किये गये।

- नामांकन के समय नामांकन कक्ष से 100 मीटर की परिधि में मजबूत बैरिकेटिंग करा ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में उक्त परिधि में कोई आपत्ति जनक वस्तु आदि प्रवेश न कर पाये ।
- नामांकन कक्ष के गेट पर डी0एफ0एम0डी0/एच0एच0एम0डी0 लगाया जाए।
- बैरिकेटिंग के पास बनाये गये प्रवेश द्वार पर डी0एफ0एम0डी0/एच0एच0एम0डी0 की जॉच से होकर ही प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश कराया जाय ।
- बैरिकेटिंग के प्रवेश द्वारा पर जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर मजिस्ट्रेट की ड्यिूटी भी पुलिस बल के साथ अवश्य लगायी जाय। वहॉ होने वाली चेकिंग की यथा सम्भव वीडियोग्राफी भी करायी जाय ।
- नामाकंन स्थल पर फायर टेण्डर की व्यवस्था रखी जाय ।

एसटीएफःहत्या की घटना मे तीन वर्ष से वांछित चल रहे रू० 50,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त मंगली, जनपद पीलीभीत से गिरफ्तार।

दिनॉकः 07—10—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत से हत्या की घटना में वांछित रू0 50,000/— के इनामी अपराधी मंगली को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1— मंगली पुत्र पूरनलाल नि0 मो0 दुर्गा प्रसाद, कस्बा व थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।

बरामदगीः-

1— एक अदद देषी तमंचा .315 बोर
2— चार अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3— एक अदद सैमसंग मोबाइल
4— रूपये 1,000/— नगद

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :-

बीसलपुर चौराह ईदगाह के पास थाना बीसलपुर, पीलीभीत दिनांक 07-10-2020 समय 21-40 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर के ओम प्रकाश पर मंगली, हरिशंकर और गनेश ने मिलकर हमला कर दिया, जिससे ओम प्रकाश को गंम्भीर चोटे आयी, जिसकी इलाज के दौरान मत्यु हो गयी। अभियुक्त हरिशंकर व गनेष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा मंगली वांछित चल रहा है, जिस पर रू0 50 हजार का पुरस्कार भी घोषित है, अपने भाई से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री अजय पाल सिंह के नेतृत्व में हे0का0 प्रो मोअज्जम अली, हे0का0 प्रो0 जगवीर सिंह, का0 शिव ओम पाठक, का0 रामजी लाल, व कमाण्डो नरेन्द्र राणा की एक टीम गठित कर थाना बीसलपुर पुलिस को साथ लेकर ईदगाह चौराह के पास से अभियुक्त मंगली उपरोक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त मंगली ने बताया कि दिनांक 08.10.2017 को उसके द्वारा अपने भाई सलारू की मारपीट का बदला लेने हेतु अपने साथी हरिशंकर पुत्र फिरंगी लाल व गनेश पुत्र महेन्द्र निवासी मो0 दुर्गा प्रसाद कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत के साथ मिलकर ओमप्रकाश पुत्र शिवदयाल कि, खेत की रखवाली करते समय लाठी डण्डो से पीटकर घायल कर दिया था, बाद में उसे पता चला कि इलाज के दौरान ओमप्रकाष की मौत हो गयी। उसके बाद वह भागकर अपने बच्चों के साथ सोनीपत मे रहा, फिर कुछ समय बाद दिल्ली आ गया, वहां रेहढ़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा था, काफी समय बाद अपने भाई से मिलने के लिए यहॉ आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0सं0ः 512/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त मंगली का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 43/05 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना बीसलपुर, पीलीभीत।
2. मु0अ0सं0 64/06 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना बीसलपुर, पीलीभीत।
3. मु0अ0सं0 131/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बीसलपुर, पीलीभीत।
4. मु0अ0सं0 1091/08 धारा 8/18/20 NDPS Act थाना बीसलप, पीलीभीत।
5. मु0अ0सं0 572/11 धारा 302 भादवि थाना बीसलपुर, पीलीभीत।
6. मु0अ0सं0 757/15 धारा 8/18/20 NDPS Act थाना बरखेड़ा, पीलीभीत।
7. मु0अ0सं0 759/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बरखेड़ा, पीलीभीत।
8. मु0अ0सं0 987/17 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि थाना बीसलपुर,पीलीभीत।

जनपद चित्रकूट/थाना मानिकपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 दो पहिया वाहन बरामद।**

दिनांक 07.10.2020 को थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा सरैया राजपुर मार्ग पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामचन्द्र, 2–पप्पू उर्फ ओमप्रकाश, 3–सुधीर को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रामचन्द्र, पप्पू उर्फ ओमप्रकाश, सुधीर शातिर किस्म के अपराधी है, जो जनपद फतेहपुर ,कौशाम्बी,कानपुर, म0प्र0 के जनपद कटनी, रीवा, व गुजरात के अहमदाबाद से वाहनों को चुराकर ग्राहक मिलने बचे देते है।

इस संबंध में थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामचन्द्र निवासी चिल्लीमल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

2–पप्पू उर्फ ओमप्रकाश निवासी चिल्लीमल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

3–सुधीर निवासी चिल्लीमल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1– चोरी की 08 मोटर साइकिल ।

जनपद सीतापुर/थाना पिसावॉ

• 25—25 रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

• घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 07.10.2020 की रात्रि थाना पिसावॉ पुलिस टीम द्वारा 25—25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी 1—प्रताप, 2—कौशल सहित 03 अन्य अभियुक्त 3—मंगल, 4—कलावती ,5—बुधपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि 05/06.10.2020 को थाना पिसावां क्षेत्र में घटित घटना के संबंध में थाना पिसावॉ पर मु0अ0सं0—338/2020 धारा 307/326/366/34/368/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस संबंध में थाना पिसावॉ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रताप निवासी अहमदपुर ,थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।
2—कौशल निवासी बैल्लिया थाना रोजा शाहजहॉपुर।
3—मंगल निवासी अहमदपुर ,थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।
4—कलावती निवासी अहमदपुर ,थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।
5—बुधपाल निवासी अहमदपुर ,थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगीः—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल ,पेट्रोल की बोतल, माचिस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

• एक अभियुक्त गिरफ्तार

• 24 लाख रू0 कीमत का 02 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

दिनांक 07.10.2020 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान महुअवां कांटा के पास से अभियुक्त मदन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 लाख रू0 कीमत का 02 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस संबंध में थाना पटहेरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मदन नि0 मईल थाना मईल जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—24 लाख रू0 कीमत का 02 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा।

जनपद रायबरेली/थाना सरेनी

- **पुलिस कार्यवाही में15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।**

दिनांक 07.10.2020 को थाना सरेनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोजपुर तिराहा से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त दिलावर खान उर्फ अनवर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिलावर खान उर्फ अनवर थाना सरेनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—195/2018 धारा 363/366 भादवि, 7/8 पॉक्सों एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में 02 वर्षो से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरेनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— दिलावर खान उर्फ अनवर निवासी गजपतिखेड़ा थाना सरेनी ,रायबरेली।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।**
- **01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद।**

दिनांक 07.10.2020 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिन्धूपुर मोड़ से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315बोर , 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0—584/2020 धारा 394/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1 सौरभ निवासी मुकुन्द खेड़ा मजरा टीकरगढ़ी थाना कोतवाली ,उन्नाव।

बरामदगीः—

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस ।